कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा।

पत्रांक................../जि0ग्रा0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी –सह–,
कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा,
दरभंगा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

लहेरियासराय, दिनांक................

विषय :– **समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मनरेगा योजना अंतर्गत सामाग्री अधिप्राप्ति हेतु आपूर्तिकर्त्ता के चयन का आमंत्रण सूचना की प्रति इसके साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है, जिसे किन्हीं दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों के दरभंगा संसकरण में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी –सह–,
कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा,
दरभंगा।

ज्ञापांक.....992...../**जि0ग्रा0, दिनांक**...8.7.2020...

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि संबंधित सूचना को एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी –सह–,
कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा,
दरभंगा।

18/06/2020

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा।

(मनरेगा के तहत सामग्री अधिप्राप्ति हेतु आपूर्तिकर्त्ता चयन का आमंत्रण सूचना)

मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–232 दिनांक–04.02.2020 के आलोक में दरभंगा जिला के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मनरेगा योजना में ग्राम पंचायतवार योजना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यथा बालू, ईट एवं छर्री आदि सामग्री अधिप्राप्ति (Meterial Procurement) हेतु प्रतिष्ठित निबंधित एवं सक्षम प्रतिष्ठिनों से कोटेशन की मांग की जा रही है। प्राप्त कोटेशन के आधार पर सामग्री अधिप्राप्ति हेतु उनका चयन अधोलिखित दिशा–निर्देश के आलोक में किया जायेगा–

1– विज्ञप्ति के प्रकाशन के सात दिनों के अंदर कोटेशन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा के कार्यालय में जमा करना होगा।

2– कोटेशन में द्विलिफाफा प्रणाली के तहत तकनीकी विवरणी एवं वित्तीय विवरणी अलग–अलग लिफाफा में रखते हुए सीलबंद लिफाफा कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

3– कोटेशन में उल्लेखित दर सभी कर तथा योजना स्थल पर सामग्री पहूँचाने तक के दर के साथ अंकित करना होगां

4– कोटेशन में उल्लेखित दर भवन निर्माण के विभाग के द्वारा निर्धारित दर तथा वृक्षारोपण और पौधशालाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5– प्रखंडवार अथवा पंचायतवार सामग्री की आवश्यकता का अवलोकन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा में सात दिनों के अंदर कार्यालय समय पर किया जा सकता है।

6– सामग्री की अधिप्राप्ति में बिहार वित्त नियमावली 2005 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7– कोटेशन के साथ निबंधन प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड एवं विगत तीन वर्षो का टर्नओभर संलग्न करना होगा।

8– अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय चयन प्रक्रिया को रद्द करने अथवा चयन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(विस्तृत जानकारीके लिए www.darbhanga.bih.nic.in पर संम्पर्क करें)

जिला पदाधिकारी,
–सह–
कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा,
दरभंगा।

18/06/20